# मध्यप्रदेश विधान सभा

## संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

**बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 30, 1932)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उनके स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर चर्चा की मांग की गई। इस दौरान कुछ सदस्यों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के कारण सदन की कार्यवाही में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई। कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा भारी व्यवधान एवं शोरगुल के कारण, सदन की कार्यवाही 10.40 बजे 10 मिनिट के लिए स्थगित कर 10.56 बजे पुनः समवेत की गई।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यगण द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्राह्य कर सदन में चर्चा कराने हेतु सहमति व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शिवपुरी में माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर, प्रश्नकाल के तत्काल बाद चर्चा कराने संबंधी व्यवस्था दी। साथ ही, श्री आरिफ अकील एवं अन्य सदस्यगण द्वारा दी गई भोपाल गैस काण्ड संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2010 को चर्चा कराने तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्य की बेलागांव घटना संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर भी किसी रूप में चर्चा कराने संबंधी व्यवस्था दी गई.

### 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 106 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 106 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

### 3. स्थगन प्रस्ताव

दिनांक 18 जुलाई, 2010 को शिवपुरी के ग्राम कोटानाका में माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त 9 सूचनाओं में प्राप्त श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की सूचना को अधिक तथ्यात्मक होने से, अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया। मुख्यमंत्री की सहमति के पश्चात्,स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्राह्य कर प्रारंभ की गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) डॉ. कल्पना परूलेकर
(3) श्री तुलसी सिलावट
(4) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री
(5) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(7) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(8) श्री लक्ष्मण तिवारी

## 4. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा भोजनावकाश स्थगित कर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक, सदन की सहमति से समय में वृद्धि की गई।

## 5. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

(9) श्री सुनील जायसवाल

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।**

(10) श्री रामलखन सिंह
(11) श्री विश्वास सारंग
(12) श्रीमती साधना स्थापक

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(13) श्री मदन कुशवाह
(14) श्री अजय सिंह
(15) श्री पारस दादा सकलेचा
(16) श्री अश्विन जोशी
(17) श्री रत्नेश सॉलोमन

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(कांग्रेस पक्ष के अधिकांश सदस्यगण, शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने अपना भाषण पूर्ण किया।

अपराह्न 2.14 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 31, 1932) के प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 21 जुलाई, 2010**